[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

किस्म मुकदमा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5
[illegible] 111-128 [illegible]	137/24	15/5/24	निर्णय 1/6/24	30/5/24

अनवान

श्री छोटू पुत्र देवी [illegible] श्री गोपाल पुत्र दौला [illegible]

निवासी [illegible] निवासी [illegible]

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार मदयून

श्री [illegible] श्री

उपखण्ड अधिकारी [illegible] बिजौलिया

धौड़ू [illegible] गोपाल

क्रम मुकदमा 111-128 [illegible] 1/24

15 05 2024 [illegible] रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी [illegible] हों। पत्रावली वास्ते तलबी / जवाब दिनांक 30 05 2024 [illegible] हों।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

30/5/24 पत्रावली पेश हुइ। अभि[illegible]क वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6/6/24 को वास्ते [illegible] पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

10/6/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षीगण के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी की गई। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या 137/2021 [illegible]

दर्ज दिनांक [illegible]

[illegible] पुत्र [illegible] जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलिया जिले भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

गोपाल पुत्र दोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0लें0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 10/6/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 277 पर अंकित आराजी संख्या 818/93, 88, 92/1 कुल किता 3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **कांस्या** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम गुढ़ा पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 277 पर अंकित आराजी संख्या 818/93, 88, 92/1 कुल किता 3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

[illegible] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

[illegible]ख्या –137 / 2024 तारीख पेशी [illegible]

[illegible]हसीलदार
[illegible]बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 137 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत।

[illegible] पुत्र देबी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा [illegible].)

प्रार्थी

बनाम

[illegible]ाल पुत्र दोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गुढा तहसील बिजौलिया जिला [illegible]लवाड़ा (राज.)

विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम [illegible] **पटवार हल्का गुढ़ा** तहसील बिजौलियाँ की **सरहद में खाता संख्या 277** पर अंकित [illegible]राजी **संख्या 818/93, 88, 92/1** कुल किता **3 रकबा 0.5747 हैक्टेयर** भूमि की [illegible]ामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा [illegible]सी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष [illegible]ायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख [illegible]रीक्षक **कास्यां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। **कमिश्नर फीस प्रार्थी** वक्त [illegible]त्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को [illegible]सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा